"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 243]　　रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 अगस्त 2009—भाद्र 9, शक 1931

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2009

आदेश

क्रमांक 5971/1924/21-ब/न्या./छ. ग./2009.—राज्य शासन, निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को वर्ष 2010 में अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण करने के फलस्वरूप, तालिका में उनके नाम के समक्ष, स्तंभ क्रमांक 4 में अंकित दिनांक से, सेवानिवृत्त किए जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति का दिनांक
1.	श्री अशोक कुमार निमोनकर	18-01-1950	31-01-2010
2.	श्री रघुबीर सिंह	03-01-1950	31-01-2010
3.	श्री सनमान सिंह	17-06-1950	30-06-2010
4.	श्री आलोक झा	01-01-1951	31-12-2010
5.	श्री बृजलाल तिड़के	02-04-1950	30-04-2010

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.